

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
CENTRAL HINDI TRAINING INSTITUTE

संख्या-ए-22013/1/2019-केहिप्रसं/ 1797

दिनांक 27 अगस्त, 2020

कार्यालय आदेश

27 AUG 2020

श्रीमती उर्मिला सैनी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना पारादीप को उसी रूप में तत्काल प्रभाव से हिंदी शिक्षण योजना, चंडीगढ़ में स्थानांतरित किया जाता है।

यह स्थानांतरण उनके स्वयं के अनुरोध पर किया जा रहा है अतः वे स्थानांतरण यात्रा भत्ते की पात्र नहीं होंगी।



(राम निवास)

प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. श्रीमती उर्मिला सैनी, हिंदी प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, पारादीप। उन्हें निदेश दिया जाता है कि पारादीप केन्द्र से कार्यमुक्त होने के बाद भी वे जुलाई-नवम्बर 2020 सत्र में पंजीकृत सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षार्थियों को उनके लिए निर्धारित परीक्षा कार्य समाप्त हो जाने तक उन्हें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप के माध्यम से ऑनलाइन हिंदी प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त आंतरिक मूल्यांकन कार्य भी यथासमय पूरा करके प्रणाली में अपलोड करते हुए उचित माध्यम से परीक्षा शाखा को भिजवाएंगी।
2. वेतन एवं लेखा अधिकारी(सचिवालय), गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशि.), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को राजभाषा विभाग के दिनांक 26-07-2019 का.जा. सं.14034/10/2019-रा.भा.(प्रशि.) के संदर्भ में।
4. उप निदेशक(पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, कोलकाता
5. उप निदेशक(मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
6. सर्वकार्यभारी अधिकारी, हिंदी शिक्षण योजना, पारादीप/चंडीगढ़।
7. सहायक निदेशक(मुख्यालय), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली।
8. सहायक निदेशक (हिंदी टंकण-आशुलिपि), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली। कृपया कार्यालय की वेबसाइट पर इस कार्यालय आदेश को अपलोड करवाने का कष्ट करें।
9. एक-एक प्रति संबंधित हिंदी प्राध्यापक की सेवापंजी/निजी फाइल हेतु।
10. गार्ड फाइल।